श्री सरयू राय, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–10.03.2026 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन– 27 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मुरी वर्क्स ने 2 लाख टन रेड मड गोला–ओरमांझी पथ निर्माण के ट्रायल में उपयोग के लिए NHAI को झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनुमोदन लिए बिना आपूर्ति कर दिया है ;	स्वीकारात्मक। इकाई के पत्रांक–Hindalco/Env/2024-25/41, दिनांक–22.10.2024 द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को यह सूचित किया गया कि NHAI को दो लाख टन Red Mud Supply कर दिया गया है तथा 10 लाख टन NHAI को Supply करने हेतु पर्षद से अनुमोदन की माँग की गई थी।
2.	क्या यह बात सही है कि इसके बाद हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, मुरी वर्क्स ने पत्रांक Hindalco/Env/2024-25/41, दिनांक–22.10. 2024 द्वारा 10 लाख टन रेड मड पथ निर्माण के उपयोग के लिए NHAI को देने के समय झारखण्ड राज्य नियंत्रण पर्षद से अनुमोदन मांगा है ;	स्वीकारात्मक। उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
3.	क्या यह बात सही है कि ट्रायल के लिए रेड मड का उपयोग करने के लिए भी नियमानुसार झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का अनुमोदन आवश्यक है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। CPCB के द्वारा मई 2023 में निर्गत "Guidelines for Handling and Management of Red Mud Generated from Alumina Plants" के कंडिका–11.7 D (e) "*For exploring the options for utilisation of Red Mud other than given at section 11.80, permission of SPCB/PCC may not be required for sending samples of Red Mud for study/research purposes of up to 1000 kgs. The unit shall maintain the records in respect of quantity, purpose and end user details and submit the same to SPCB/PCC. Precautions shall be taken during packing and transport to ensure no spillage and leakage* एवं कंडिका– *11.8.2 (i) Use of Red Mud in the preparation of any material (including bricks) for use in the construction of roads, buildings etc. (excluding development of the RMDA) to be done on the basis of findings of the Environmental Impact and Risk Assessment.* *(ii) The hexavalent Chromium concentration in the construction materials not to exceed 2mg/kg (2ppm)*" के अनुरूप ट्रायल के लिए Red Mud का उपयोग करने

		के लिए नियमानुसार झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का अनुमोदन आवश्यक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनुमोदन के बिना NHAI को 2 लाख टन रेड मड आपूर्ति के लिए हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के मुरी वर्क्स के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से अनुमोदन के बिना NHAI को 02 लाख टन Red Mud आपूर्ति के लिये पर्षद पत्रांक–506 दिनांक–26.02.2026 द्वारा इकाई को अंतरिम पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि रू0–37,96,875/– (सैतीस लाख छियानवे हजार आठ सौ पचहत्तर रूपये) अधिरोपित की गयी है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0तारांकित–56/2026– 845 व0प0, दिनांक– 07.03.2026

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–4443 दिनांक–25.02.2026 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/03/2026
(भन्नु चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।